न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	–	30/2026.
सी.आई.एस. नंबर	–	30/2026.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	02/2026 पुलिस थाना सरवाड़.
सी.एन.आर. नंबर	–	आर.जे.ए.जे.130003932026.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

बाबूलाल पुत्र जगदीश मेघवंशी आयु 27 वर्ष, निवासी हिंगतड़ा, पुलिस थाना सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.).

.. अभियुक्त.

अपराध अन्तर्गत धारा 64(2)(एम), 351(2) भारतीय न्याय संहिता.

उपस्थितिः–

1. श्री मोहिन्दर जोशी, अपर लोक अभियोजक राज्य.
2. श्री कमलेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अभियुक्त.

––––––

– **नि र्ण य** – **दिनांकः 05 जून 2026.**

01– निपुण सक्सेना व अन्य बनाम युनियन आफ इण्डिया व अन्य 2019(2) एस.एस.सी. 703 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पी़डिता एवं उसके निकट संबंधियों का नाम, उनकी पहचान को गुप्त रखने के प्रयोजन से नहीं लिखा जा रहा है। पी़डिता को काल्पनिक नाम ''एक्स'' नाम से संबोधित किया जा रहा है।

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02–01–2026 को परिवादिया/पीड़िता ''एक्स'' ने पुलिस थाना सरवाड़ पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह हिंगतड़ा, पुलिस थाना सरवाड़ की रहने वाली है। प्रार्थीया अपने पति के साथ अलग रहती है तथा उसके पति दिन में बाहर काम में रहते हैं तथा इसी का फायदा उठाकर गांव के ही बाबूलाल पुत्र जगदीश उसके अकेली देखकर उसके घर आ जाता था तथा उसके मोबाईल पर फोन करने लगा और उसको धमकी देकर कहने लगा कि ''तेरी अश्लील फोटो व वीडियो भेज'' तथा जब भी मौका मिलता अभियुक्त उसके साथ गलत काम करता था। जब भी अभियुक्त की इच्छा होती थी, तभी प्रार्थीया को अपने पास बुलाता था तथा गलत काम करता। प्रार्थीया मना करती तो उसकी अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देता। दिनांक 20–12–2025 को अभियुक्त ने उसे फोन किया तथा पूछा कि कहां है तो उसने बताया कि वह अपने खेत हिंगतड़ा में है, तब अभियुक्त उसके खेत पर आया और उसके साथ गलत काम किया तथा उसकी अश्लील फोटो व वीडियो खींची। दिनांक 29–12–2025 को अभियुक्त ने प्रार्थीया को फोन किया तथा मिलने की बात की, तब प्रार्थीया ने मिलने से मना कर दिया तो अभियुक्त ने प्रार्थीया को अपने मोबाईल नंबर से फोन किया तथा प्रार्थीया के फोन पर उसकी अश्लील वीडियो व फोटो भेजी तथा कहा कि उससे मिलने आ, नहीं तो अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करूंगा, आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा एफ.आई.आर. संख्या–02/2026 अन्तर्गत धारा 64(2)(एम), 351(2) बी.एन.एस. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त बाबूलाल के विरूद्ध धारा 64(2)(एम), 351(2) बी.एन.एस. में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़, जिला–अजमेर के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय मजिस्ट्रेट सरवाड़, जिला–अजमेर द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त बाबूलाल के विरूद्ध धारा 64(2)(एम), 351(2) बी.एन.एस. में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 64(2)(एम) बी.एन.एस. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

04– अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त बाबूलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 64(2)(एम), 351(2) बी.एन.एस. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

05– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नाकिंत साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	''एक्स''	परिवादिया/पीड़िता.
PW-02	''वाई''	परिवादिया/पीड़िता का पति.
PW-03	प्रधान	फर्द नक्शा–मौका.

PW-04	चिन्ता कुमारी	फर्द जब्ती, फर्द तस्दीक नक्शा–मौका, फर्द गिरफ्तारी आदि.
PW-05	डा. प्रीति निमेड़िया	चिकित्सक गवाह.
PW-06	हरिराम	बयान धारा 180 बी.एन.एस.
PW-07	मोहनलाल	बयान धारा 180 बी.एन.एस.
PW-08	नाहरसिंह	अनुसंधान अधिकारी.

06– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाए:–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. परिवादिया/पीड़िता.
प्रदर्श पी–02	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–03	तहरीरी रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–04	परिवादिया/पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–05	परिवादिया/पीड़िता पहचान फार्म.
प्रदर्श पी–06	फर्द जब्ती मोबाईल फोन.
प्रदर्श पी–07	फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–08	फर्द नजरी नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–09	फर्द विश्लेषण पीड़िता का मोबाईल.
प्रदर्श पी–10	बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस. पीड़िता.
प्रदर्श पी–11	बयान धारा 180 बी.एन.एस. बालूराम.
प्रदर्श पी–12 व 13	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–14	फर्द जब्ती मोबाईल फोन अभियुक्त बाबूलाल.
प्रदर्श पी–15	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बाबूलाल.
प्रदर्श पी–16	फर्द नोटिस अन्तर्गत धारा 47 बी.एन.एस.एस.
प्रदर्श पी–17	फर्द गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त बाबूलाल.
प्रदर्श पी–18	फर्द विश्लेषण मोबाईल अभियुक्त बाबूलाल.
प्रदर्श पी–19	थानाधिकारी सरवाड़ द्वारा एम.ओ. सरवाड़ को पीड़िता के मेडिकल मुआयना संबंधी तहरीर.
प्रदर्श पी–20	थानाधिकारी सरवाड़ द्वारा एस.पी. अजमेर को अग्रेषण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र.
प्रदर्श पी–21	एस.पी.अजमेर द्वारा एफ.एस.एल.को जारी पत्र.
प्रदर्श पी–22	एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद.
प्रदर्श पी–23ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति.
प्रदर्श पी–24	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–25	थानाधिकारी सरवाड़ द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी को

	पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. बाबत् प्रार्थना पत्र.
प्रदर्श पी–26	थानाधिकारी सरवाड़ द्वारा एम.ओ. सरवाड़ को अभियुक्त बाबूलाल के मेडिकल बाबत् तहरीर.
प्रदर्श पी–27	अभियुक्त बाबूलाल का पहचान फार्म.
प्रदर्श पी–28	अभियुक्त बाबूलाल का पुरूषत्व संबंधी परीक्षण रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–29	फर्द इत्तिला धारा 23(2) बी.एप.एस.एस. अभियुक्त बाबूलाल.
प्रदर्श पी–30	एफ.एस.एल. रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–31 से 35	रोजनामचा रपट.
प्रदर्श पी–36	आरोप पत्र.

07– अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्त से लिया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया एवं प्रतिरक्षा में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

08– बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। **विद्वान अपर लोक अभियोजक** का तर्क रहा कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

09– इसके विपरित **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित नहीं है। स्वयं परिवादिया/पी़डिता व उसके पति ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अन्य गवाहान की साक्ष्य से भी अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

10– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

1. आया अभियुक्त बाबूलाल ने दिनांक 20–12–2025 को दिन में किसी समय ग्राम हिंगतड़ा में परिवादिया/पी़डिता ''एक्स'' के खेत में तथा उससे पूर्व उसके रिहायशी मकान में परिवादिया/पी़डिता की सहमति के बिना जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग कारित किया तथा उसके अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर परिवादिया/पी़डिता के साथ आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

11– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को साबित करने के लिए कुल 08 गवाहान के बयान लेखबद्ध कराए हैं, जिन पर विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 परिवादिया/पीड़िता ''एक्स''** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से 2–3 महीने पहले की बात है। उसका खेत व बाबूलाल का खेत पास–पास है। बाबूलाल कृषि कार्य हेतु उसके घर आता–जाता रहता था। बाबूलाल का उसके घर पर आने से उसके पति को ऐतराज था। उसके पति व अभियुक्त बाबूलाल के मध्य जमीनी विवाद हो गया था, जिसके चलते उसके पति ने बढ़ा–चढ़ाकर बाबूलाल के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मेरे साथ बाबूलाल ने कोई गलत काम नहीं किया, न ही मोबाईल से कोई फोटो या वीडियों बनाया।

12– उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग ''मेरा नाम.....चार साल की थी'', पुलिस को लिखाया था तथा सी से डी भाग ''मेरे ससुराल.....करवाने आए'', नहीं लिखाया। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–4, पहचान फार्म प्रदर्श पी–5, फर्द जब्ती वीवो कंपनी का मोबाईल प्रदर्श पी–6, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–8, फर्द विश्लेषण मोबाईल प्रदर्श पी–9, उसके धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–10 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

13– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसे पता नहीं है कि रिपोर्ट में क्या लिखाया था। यह सही है कि बाबूलाल व मेरे पति के मध्य पुराना जमीनी विवाद था तथा मेरे पति ने रंजिशवश रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्त ने उसके फोटो या वीडियो नहीं बनाए थे। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 में नहीं समझती हूं। यह सही है कि मैंने मेरे पति के बहकावे व दबाव के कारण अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा मुझे पता नहीं कि पुलिस वालों ने किन–किन कागजों पर हस्ताक्षर करवाए।

14– **गवाह पी.ड.–2 ''वाई''** ने साक्ष्य दी है कि आज से 3–4 माह पहले की बात है। उसके व अभियुक्त बाबूलाल के मध्य जमीनी विवाद हो गया था, इसी रंजिशवश के कारण अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उसके व बाबूलाल के मध्य कृषि कार्य को लेकर गाली–गलौच हो गयी थी। उसने बाबूलाल को गलत आंशका के कारण उसके घर पर आने से मना कर दिया था। बाबूलाल ने मेरी पत्नी के कोई फोटो या वीडियो नहीं बनाया था, न ही उसके साथ कोई गलत काम किया तथा न ही कोई रूपयों की मांग की।

15– उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का ए से बी भाग ''मेरा नाम.....गई थी'', पुलिस को लिखाया था तथा सी से डी भाग ''बाबूलाल ने.....दर्ज करवाने आया'', नहीं लिखाया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–4, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श

पी–7 व प्रदर्श पी–8 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 है।

16– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे पता नहीं कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 किसने लिखी थी तथा किन–किन फर्दों पर पुलिस वालों ने हस्ताक्षर करवाए थे। यह सही है कि बाबूलाल व उसके मध्य पुरानी जमीन का विवाद है। मैं नहीं बता सकता कि नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 व पी–8 किस स्थान के है तथा उसका व बाबूलाल का जमीनी विवाद खत्म हो गया है। पुलिस वालों ने उसे बयान पढ़कर नहीं सुनाए थे।

17– **गवाह पी.ड.–3 प्रधान कीर** ने साक्ष्य दी है कि आज से 5–6 माह पहले की बात है। बाबूलाल और उसका भाई जमीनी विवाद को लेकर लड़ रहे थे। उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया था। उसके बाद क्या हुआ था, मुझे नहीं मालूम। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मुझे नहीं पता कि बाबूलाल व पी़डिता के मध्य कोई फोटो व वीडियों का विवाद हो। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि पुलिस वालों ने फर्द प्रदर्श पी–7 व पी–8 पर धमकाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे तथा उसे पढ़कर नहीं सुनाया था।

18– **गवाह पी.ड.–4 चिन्ता कुमारी शर्मा** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 03.01.2026 को पुलिस थाना सरवाड़ में महिला कानि० के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन पी़डिता ''एक्स'' के द्वारा एक वीवो कंपनी का मोबाईल फोन बरंग आसमानी चमकीला, जिसको जरिए फर्द प्रदर्श–6 जब्त किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी ने दिनांक 04.01.2026 को फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श–12 बनाया था और फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल हिंगतडा में रामलाल कीर के खेत का प्रदर्श–13 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द विश्लेषण पी़डिता का मोबाईल प्रदर्श–9 है। मुलजिम बाबूलाल से वीवो कपंनी के मोबाईल को जरिए फर्द प्रदर्श–14 जब्त किया गया। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बाबूलाल प्रदर्श 15, फर्द नोटिस अन्तर्गत धारा 47 मुलजिम बाबूलाल प्रदर्श 16, मुलजिम बाबूलाल की गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श–17, फर्द विश्लेषण अभियुक्त का मोबाईल प्रदर्श–18 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

19– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि उपरोक्त समस्त फर्दों पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रदर्श पी–9 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–12 बाबत् मेरी रवानगी पत्रावली पर है या नहीं।

20– **गवाह पी.ड.–5 डॉ. प्रिती निमेडिया** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक

03.01.2026 को वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर जिला चिकित्सालय केकडी में पदस्थापित थी। उसके द्वारा पीड़िता का बलात्कार संबंधित मेडिकल मुआयना किया गया। उसके द्वारा पीड़िता के 2 वैजाइनल और सर्वाइकल स्नियर और स्वेब ब्लड, थूक और एफ टी ए कार्ड पर ब्लड का नमूना लिया गया। पीड़िता का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी पीड़िता के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता का पहचान फार्म प्रदर्श पी–5 है तथा पुलिस थाना सरवाड़ से एम ओ महोदय सी एच सी सरवाड को लिखा डी एन ए परीक्षण हेतु रक्त का नमूना लेने बाबत् तहरीर प्रदर्श पी–19 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे तथा पीड़िता शादीशुदा है एवं सैक्सुअल हैबीच्यूल है। यह भी सही है कि पीड़िता के आंतरिक अंगों पर रगड़ के निशान व चोट नहीं थी।

21– **गवाह पी.ड.–6 हरिराम** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 15.01.2026 को पुलिस थाना सरवाड में कानि० के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह एच.एम. मालखाना से प्रकरण संख्या 2/26 थाना सरवाड में लिये गये पीड़िता अभियुक्त के शील्डशुदा 06 सैंपल एफ.एस.एल. जांच हेतू जमा करवाने के लिए अजमेर रवाना हुआ था। वह 06 सील्ड शुदा सैंपलों मय एफएसएल पत्र और संकलित दस्तावेजों को लेकर श्रीमान एस पी कार्यालय पहुंचा, जहां से अग्रेषण पत्र बनवाकर 06 सील्ड शुदा सैंपलों को लेकर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर थाना जमा मालखाना करवाया। मालखाना इंचार्ज को जमा रसीद दी। पुलिस थाना सरवाड़ से एस.पी. ऑफिस अजमेर को एफएसएल हेतू लिखा अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–20 है। पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लिखा पत्र प्रदर्श पी–21 है। एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–22 है, जिन पर ए से बी उसका नाम अंकित है। **बचाव पक्ष** के द्वारा गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

22– **गवाह पी.ड.–7 मोहनलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01.03.2026 को पुलिस थाना सरवाड में हैड कानि० व मालखाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिनांक को श्री शिवचरण ए एस आई ने मुकदमा नंबर 2/26 धारा 64(2)(एम), 351(2) बीएनएसएस में एक सील्ड शुदा लिफाफा मार्का ए, जिसमें आरोपी बाबूलाल के सैंपल मार्का ए, बी, सी, डी और ई व पीड़िता के सैंपल व 2 मोबाईल सील्ड शुदा व एम.ओ. द्वारा सील्ड शुदा किए गए थे, जिन्हें लाकर मालखाने में पेश किये थे, जिसका मालखाना की मद संख्या 5/26 पर इन्द्राज किया गया। दिनांक 15.01.2026 को मार्का ए, बी, सी, डी और ई को एफएसएल परीक्षण व लैटर बनाने हेतू एस.पी. साहब कार्यालय हेतू कानि० हरिराम को सुपुर्द किये गये। कानि० हरिराम ने उसी दिनांक को एफ.एस.एल. में जमा करवाकर जमा रसीद पेश की थी, जिसको अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की गई थी। दिनांक 07.03.2026 को प्रकरण हाजा की एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–23 है, जिस पर ए से बी मालखाना मद संख्या, सी से डी मुकदमा नंबर व धारा, ई से एफ इन्द्राज, जी से एच उसके हस्ताक्षर, आई से जे एफएसएल भेजने का इन्द्राज, के से एल

एफएसएल प्राप्ति रसीद, एम से एन एफएसएल रिपोर्ट प्राप्ति का इन्द्राज है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श–23 ए है। **बचाव पक्ष** के द्वारा गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

23– **गवाह पी.ड.–8 नाहर सिंह** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01.02.2026 को पुलिस थाना सरवाड में एस.आई. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 2/26 धारा 64 (2) (एम), 351 (2) बीएनएसएस की तफ्तीश उसके जिम्मे हुई थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी दुर्गा, सी से डी कालू, ई से एफ रामधन एस.आई. के हस्ताक्षर है। चाक एफ आई आर प्रदर्श–24 है। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 व पी–8 बनाया, जिस पर गवाहान व उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–12 व पी–13 है। फर्द विश्लेषण पीडिता का मोबाईल प्रदर्श पी–9 है। धारा 183 बी.एन.एस. पीडिता के बयान कराने हेतु मजिस्ट्रेट साहब को लिखा पत्र प्रदर्श पी–25 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पीडिता का दुष्कर्म संबंधी मेडिकल मुआयना एम.ओ. साहब को तहरीर प्रदर्श–19 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम बाबूलाल का पुरूत्व संबंधी मेडिकल मुआयना प्रदर्श–26 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाबूलाल का पहचान फार्म प्रदर्श पी–27 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी बाबूलाल के व ई से एफ चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर है। बाबूलाल की पोटेंसी रिपोर्ट प्रदर्श–28 है। फर्द जब्ती मुलजिम का वीवो कंपनी का मोबाइल प्रदर्श पी–14 है।

24– **गवाह पी.ड.–8 नाहर सिंह** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त को जरिए फर्द प्रदर्श पी–15 गिरफ्तार किया था, जिस गवाहान, अभियुक्त व उसके हस्ताक्षर है। फर्द नोटिस अन्तर्गत धारा 47 बी एन एस प्रदर्श पी–16 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाह, ई से एफ गवाह के, जी से एच बाबूलाल के व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी–17 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाह, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

25– **गवाह पी.ड.–8 नाहर सिंह** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त ने फर्द इत्तला 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–29 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। फर्द विश्लेषण अभियुक्त का मोबाईल प्रदर्श पी–18 है। पुलिस थाना सरवाड़ से एस.पी, अजमेर को एफ.एस.एल. हेतु लिखा अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–20 है। एस.पी. आफिस से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर को लिखा अग्रेषण पत्र प्रदर्श–21 है। एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–22 है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 है। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–31 लगायत प्रदर्श पी–35 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पीडिता के बयान प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी महिला कानि० चिन्ता के हस्ताक्षर है। पीडिता का पहचान फार्म प्रदर्श पी–5 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पीडिता के मोबाईल की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–6 है। चार्जशीट प्रदर्श पी–36 पर ए से बी रामपाल जी के हस्ताक्षर है।

26– **गवाह पी.ड.–8 नाहर सिंह** ने यह भी साक्ष्य दी है कि आर्टिकल 01– मार्का बी पर अंकित एक लिफाफा, जिस पर पीडिता का एक वीवो कंपनी का टचस्क्रीन मोबाईल, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाह, ई से एफ पीडिता के हस्ताक्षर, जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जो प्रदर्श पी–37 है, जिस पर मालखाना मद संख्या 5ध्26. एफ आई आर नंबर 2ध्26 व धारा अंकित है। आर्टिकल 02– मार्का ए पर अंकित एक लिफाफा, जिस पर मुलजिम का एक मोबाईल, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाह, ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर, जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, जो प्रदर्श पी–38 है, जिस पर मालखाना मद संख्या 5ध्26, एफ आई आर नंबर 2/26 व धारा अंकित है। संपूर्ण अनुसंधान में अभियुक्त बाबूलाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 64(2)(एम), धारा 351 (2) बी.एन.एस. प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के तहत आरोप पत्र प्रदर्श पी–36 पेश किया गया, जिस पर रामपाल के हस्ताक्षर है।

27– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि फर्द प्रदर्श पी–7 लगायत 9, प्रदर्श पी–12 व पी–13 में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा गवाह पीडिता के परिवार के सदस्य ही हैं। यह सही है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 घटना के 3–4 दिन बाद दर्ज करवाई थी तथा उसके द्वारा विलम्ब का कारण नहीं पूछा था। यह कहना गलत है कि मैंने प्रकरण में गलत तफ्तीश की हो तथा झूठे बयान दे रहा हूं।

28– उपरोक्त समस्त साक्ष्य पर एकसाथ विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–3 प्रधान** कीर अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है, लेकिन गवाह ने नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–4 चिन्ता कुमारी** के द्वारा नक्शा–मौका घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी–12, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रदर्श पी–15, अभियुक्त को धारा 47 बी.एन.एस.एस. का नोटिस प्रदर्श पी–16, फर्द विश्लेषण अभियुक्त का मोबाईल प्रदर्श पी–18 पर हस्ताक्षर होने के संबंध में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–5 डा. प्रीति निमेडिया** के द्वारा पीडिता के बलात्कार के संबंध में मेडिकल मुआयना करने के संबंध में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–6 हरिराम** के द्वारा प्रकरण में सीलशुदा सेम्पल का अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफ.एस.एल. में जमा करवाने के संदर्भ में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–7 मोहनलाल** के द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा सेम्पल को जमा मालखाना किया जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–8 नाहरसिंह** ने अनुसंधान के संदर्भ में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–1 पीडिता ''एक्स''** के बयान महत्वपूर्ण है तथा पीडिता के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्त के द्वारा उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, ना ही उसके मोबाईल से फोटो व वीडियो बनाए। यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा गवाह ने अपने मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान प्रदर्श पी–10 में अभियुक्त के द्वारा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने के संबंध में साक्ष्य दी है, किन्तु पीडिता ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 तथा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–3 को पूर्णतः नकारा है तथा पीडिता के द्वारा घटना की ताईद नहीं की गई है। इसी तरह से पीडिता के

पति **गवाह पी.ड.–2 ''वाई''** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि बाबूलाल ने उसकी पत्नी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, न ही मोबाईल से फोटो या वीडियों बनाए। यह गवाह भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 तथा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 को पूर्णतः नकारा है तथा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

29– इसके अतिरिक्त पत्रावली पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 उपलब्ध है, जिसके अनुसार पीड़िता के वेजाईनल और सर्वाइकल्स स्नियर तथा स्वैब पर अभियुक्त का सीमन नहीं पाया गया है। पीड़िता ''एक्स'' व उसके पति ''वाई'' के बयान एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ कोई दुष्कर्म का कृत्य नहीं हुआ है। अतः अभियोजन पक्ष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त बाबूलाल के द्वारा पीड़िता ''एक्स'' की सहमति के बिना जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्कार कारित किया हो।

30– जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 351(2) बी.एन.एस.** का प्रश्न है तो **गवाह पी.ड.–1 पीड़िता ''एक्स''** के द्वारा स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्त बाबूलाल के द्वारा उसके साथ जबरन अवैध बनाकर उसके साथ मारपीट की तथा उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, न ही उसके साथ कोई गलत काम किया। इसी तरह से गवाह पी.ड.–2 ''वाई'' के द्वारा स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्त बाबूलाल ने उसकी पत्नी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, ना ही उसके साथ जबरन अवैध संबंध बनाकर मारपीट की, ना ही उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। गवाह पी.ड.–8 नाहरसिंह अनुसंधान अधिकारी के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अनुसंधान के दौरान पीड़िता की कोई फोटो या वीडियो नहीं मिली थी। अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 351(2) बी.एन.एस. का आरोप भी साबित करने में असफल रहा है।

– आ दे श –

31– अतः अभियुक्त **बाबूलाल** पुत्र जगदीश मेघवंशी आयु 27 वर्ष, निवासी हिंगतड़ा, पुलिस थाना सरवाड़, जिला–अजमेर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 64(2)(एम) व धारा 351(2) भारतीय न्याय संहिता हेतु सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जाता है।

32– अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत, मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

33– हस्तगत प्रकरण में पीड़िता अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित होने से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर राशि दिलाए जाने हेतु जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण, अजमेर को अनुशंषा नहीं की जाती है।

34– प्रकरण में फर्द जब्ती अनुसार जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किए जावें।

35– अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि धारा 481 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रकरण में अपील/रिवीजन होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् 25,000–25,000/–रू के जमानत, मुचलके न्यायालय में पेश करे।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

36– निर्णय व आदेश आज दिनांक 05–06–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN
Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN Date: 2026.06.05 13:38:43 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

–––––––